जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना चांदपुर **दिनांक - 16.06.2024**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 297/24 धारा 147/148/149/323/504/506/427/447/379 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.06.2024 को वादी श्री प्रेम पुजारी पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी मौ0 शाहचन्दन कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चाँदपुर पर तहरीर दी गयी कि वादी अपनी आराजी में निर्माण कार्य कर रहा था तभी अचानक मौहल्ला सराय रफी एवं मौहल्ला शाहचन्दन के पुरुष एवं महिलाओं ने वादी के साथ गाली – गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री सीमेन्ट के कट्टे, तसले, फावडे आदि उठाकर ले गये तथा उनके प्लॉट पर बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गयी है। वादी की आराजी वादी के पूर्वजों द्वारा खरीदी गयी है तथा **वादी के पास माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.05.2024 एवं उस पर निर्माण कार्य करने संबंधित माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 31.05.2024 की प्रति उपलब्ध है, जिसे संलग्न किया जाता है।**

तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 297/2024 धारा 147/148/149/323/504/506/427/447/379 भादवि बनाम रेखा देवी पत्नी सुकराम निवासी मौ0 शाहचन्दन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर आदि कुल 49 नामजद व 10 – 12 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 297/2024 धारा 147/148/149/323/504/506/427/447/379 भादवि में विवेचनात्मक कार्यवाही में प्रकाश में आये अभियुक्त शिवचरन सिंह पुत्र होरी सिंह निवासी मौहल्ला सरायरफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सचिनराज उर्फ सोनू पुत्र रामस्वरुप निवासी मौ0 सरायरफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तो की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1-शिवचरण सिंह पुत्र होरी सिंह निवासी मौहल्ला सरायरफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2-सचिनराज उर्फ सोनू पुत्र रामस्वरुप निवासी मौहल्ला सरायरफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2- आरक्षी मोबीन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3- आरक्षी कृष्ण कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, चांदपुर, बिजनौर

मूलवाद सं०- 98/2024
विशाल सैलानी आदि बनाम चन्द्र प्रकाश आदि
दिनांक- 29.05.2024

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6 ग मय शपथ पत्र 7 ग वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। कार्यालय से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त वाद के संबंध में कोई कैविट लंबित नहीं है।

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 6 ग शपथ पत्र 7 ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बनाम प्रतिवादीगण व उनके एजेन्ट व सर्वेन्ट इस अमर की जारी फरमाई जाए कि दौरान वाद प्रतिवादीगण वाद पत्र के अंत में वर्णित संपति पर कब्जा करने व निर्माण करने तथा वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे व निर्माण करने में व्यवधान पैदा करने से बाज रहे।

वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची फेहरिस्त सबूत कागज संख्या ग-10 से कागज सं० ग-11 से सत्यप्रतिलिपि नकल बैनामा इकरारी बनारसी दास बहक हरदेवा आदि दिनांकित 23.03.1963, हिन्दी की फोटो प्रति बैनामा दिनांकित 23.03.1963 एवं सत्यप्रतिलिपि नकल आदेश न्या० सिं० जज जू०डि० 2 वाद संख्या 400/1996 ओमप्रकाश आदि बनाम नौबत आदि पत्रावली पर दाखिल की गई हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा वाद विवादित संपति स्थित मौहल्ला शाहचन्दन/ सरायफी परगना व तहसील चांदपुर जिला बिजनौर संपति वादीगण खसरा संख्या 2351 रकबई 4 विसे, खसरा संख्या 2352 रकबई 5 विसे, खसरा संख्या 2355 रकबई 13 विसे, खसरा संख्या 2356 रकबई 9 विसे, खसरा संख्या 2357 रकबई 2 विसे कुल रकबई 1 बिघा 13 विसे पुख्ता पूरब- रास्ता, पश्चिम- आबादी मुजफ्फर अली, उत्तर- रास्ता, दक्षिण- मुन्नी पीर जी आदि पर प्रतिवादीगण को बजरिए डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा निषेधित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची फेहरिस्त सबूत कागज संख्या ग-10 से कागज सं० ग-11 से सत्यप्रतिलिपि नकल बैनामा इकरारी बनारसी दास बहक हरदेवा आदि दिनांकित 23.03.1963, हिन्दी की फोटो प्रति बैनामा दिनांकित 23.03.1963 एवं सत्यप्रतिलिपि नकल आदेश न्या० सिं० जज जू०डि० 2 वाद संख्या 400/1996 ओमप्रकाश आदि बनाम नौबत आदि पत्रावली पर दाखिल की गई है। वाद पत्र के कथनानुसार प्रश्नगत संपति स्थित मौहल्ला शाहचन्दन/ सरायफी परगना व तहसील चांदपुर जिला बिजनौर संपति वादीगण खसरा संख्या 2351 रकबई 4 विसे, खसरा संख्या 2352 रकबई 5 विसे, खसरा संख्या 2355 रकबई 13 विसे, खसरा संख्या 2356 रकबई 9 विसे, खसरा संख्या 2357 रकबई 2 विसे कुल रकबई 1 बिघा 13 विसे पुख्ता के वादीगण के पूर्वज मालिक व काबिज थे और उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण उक्त भूमि पर मालिक व काबिज हुए। उक्त भूमि वादीगण की दादालाही है। वादपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र बैनामा दिनांक 23.03.1963 के अनुसार उपरोक्त संपति वादीगण के पूर्वज हरदेवा, प्यारे, इद्दा व गगन सिंह ने उक्त बैनामा दिनांकित 23.03.1963 के माध्यम से खरीदी थी। संलग्न निर्णय की प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि मूलवाद संख्या 400/1996 ओमप्रकाश आदि बनाम नौबत आदि उपरोक्त संपति के बाबत वादीगण के पिता द्वारा वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध योजित किया गया था। जिसके बाद

बिन्दु संख्या 1 निर्णीत करते हुए वादीगण के पिता को संपति का मालिक व काबिज माना गया। इस निर्णय के विरुद्ध की गई अपील को भी अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अतः उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रतिवादीगण को अस्थाई व्यादेश द्वारा निषेधित किया जाता है कि प्रतिवादीगण स्वयं अथवा अपने एजेन्ट व सर्वेन्ट के माध्यम से वाद पत्र के अन्त में वर्णित संपति पर जबरन कब्जा करने, वादी को बेदखल करने तथा वादी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य करने में कोई व्यवधान उत्पन्न करने से बाज रहे। वादी का प्रार्थना पत्र 6 ग पर आपति व सुनवाई हेतु दिनांक 12.07.2024 नियत की जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हों। वादीगण आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी के अनुपालन में आवश्यक पैरवी अविलम्ब करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश विवादित संपति की पैमाईश के संबंध में राजस्व न्यायालय की किसी भी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगें। उक्त आदेश प्रतिवादीगण के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। पत्रावली वास्ते आपति/निस्तारण प्रार्थना पत्र ग-6 दिनांक 12.07.2024 को पेश हो।

Bushra 29/05/2024

सिविल जज जू.डि. चांदपुर
बिजनौर

प्रार्थना पत्र ग-8 बाबत मौके की अमीन आख्या मंगाये जाने पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रार्थना पत्र ग-8 अमीन अदालत को मौका मुआयना कर मौके की आख्या प्रस्तुत करने व न्यायालय द्वारा पारित आदेश, नोटिस व सम्मन की तामील प्रतिवादीगण पर करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अदालत अमीन को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सूचित करते हुए विवादित स्थल का निरीक्षण कर अपनी आख्या मय मानचित्र नियत तिथि तक न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वादीगण आवश्यक पैरवी अविलंब करें।

प्रतिवादीगण पर सम्मन नोटिस नियमानुसार जारी हों। तदनुसार प्रार्थना पत्र ग-8 निस्तारित किया जाता है।

Bushra 29/05/2024

सिविल जज जू.डि. चांदपुर
बिजनौर

प्रतिलिपि विभाग सिविल जज (जू०डि०) चाँदपुर (बिजनौर)

Compared by: — Kamran

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिक
सिविल जज (जू० डि०)
चान्दपुर
31-05-2024

का $\frac{2}{3}$

न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, चांदपुर, बिजनौर

मूलवाद सं॰- 98/2024

विशाल सैलानी आदि बनाम चन्द्र प्रकाश आदि

दिनांक- 31.05.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। प्रार्थनापत्र ग-17 पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र ग-17

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र ग-17 मय शपथपत्र ग-18 इस आशय का दिया गया है कि प्रश्नगत आराजी जिसका विवरण वाद पत्र के अंत में दिया गया है, वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा का वाद दायर किया गया है जिसमें मा॰ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2024 को प्रश्नगत आराजी के संबंध में प्रतिवादीगण को निषेधित किया गया है कि प्रतिवादीगण प्रश्नगत संपति पर कब्जा करने व वादीगण के निर्माण करने में व्यवधान पैदा करने से बाज रहे। जिसकी जानकारी वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को करायी गयी लेकिन प्रतिवादीगण उक्त आदेश को मानने से इंकार कर रहे हैं। ताकत व गुंडागर्दी के बल पर वादीगण के कब्जे व निर्माण में व्यवधान पैदा कर रहे हैं इसलिये न्यायहित में मा॰ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 का अनुपालन थाना प्रभारी चाँदपुर द्वारा कराया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण ने न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 का अनुपालन थाना प्रभारी चाँदपुर द्वारा कराये जाने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग-17 मय शपथ पत्र समर्थित है। उक्त प्रकरण में न्यायालय के आदेश दिनांकित 29.05.2024 में प्रतिवादीगण को निर्देशित किया गया है कि प्रतिवादीगण स्वयं अथवा अपने एजेन्ट व सर्वेन्ट के माध्यम से वाद पत्र के अंत में वर्णित संपति पर जबरन कब्जा करने, वादी को बेदखल करने या वादी द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न करने से निषेधित किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग-17 स्वीकार किया जाता है तथा संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त होने पर आदेश दिनांकित 29.05.2024 का अनुपालन मौके पर पहुंचकर कराना सुनिश्चित करें।

Bushra 31/05/2024

(बुशरा खुर्शीद)

सिविल जज (जू॰डि॰)

चाँदपुर, बिजनौर।

J.O.CODE-UP3362

सिविल जज (जू॰डि॰) चाँदपुर (बिजनौर)

Compared by: Kamran

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिक

सिविल जज (जू॰ डि॰)

चान्दपुर

31-05-2024

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 16.06.2024**

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 551/23 धारा 147/148/149/323/307/504/506 भादवि व 7 क्रिमिनल एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.12.2023 को रोडवेज बस स्टैण्ड पर दो पक्षों के मध्य हुये झगडे के सम्बन्ध में उ0नि0 हरेन्द्र सिंह द्वारा थाना धामपुर पर अभियुक्तगण 1-सुहैल पुत्र जाहिद निवासी ग्राम जहांगीरपुरी उत्तर पश्चिम दिल्ली 2-मौ0 रफी पुत्र सगीर निवासी मौ0 मछली बाजार थाना धामपुर जनपद बिजनौर 3-नासिर पुत्र साजिद निवासी नांगलोई दिल्ली 4-आशू सरदार व 15-20 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मु0अ0सं0 551/23 धारा 147/148/149/323/307/504/506 भादवि व 7 क्रिमिनल एक्ट पंजीकृत कराया गया।

दिनांक 22.12.2023 को स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित 03 अभियुक्तगण 1-सुहैल पुत्र जाहिद निवासी जहांगीरपुरी दिल्ली 2-मौ0 रफी पुत्र सगीर निवासी मौ0 मछली बाजार कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर 3-नासिर पुत्र साजिद निवासी नांगलोई दिल्ली को गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त विकास कुमार पुत्र शीशुपाल सिंह निवासी ग्राम जाफराबाद पुरई थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विकास कुमार पुत्र शीशुपाल सिंह निवासी ग्राम जाफराबाद पुरई थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री किशन अवतार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2.कां0 2147 अंकित कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नहटौर   दिनांक 16.06.2024

थाना नहटौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 224/24 धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम में वांछित 03 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.06.2024 थाना नहटौर पुलिस द्वारा चेंकिग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मौ0 जोशियान के निकट ट्रक संख्या HR45D-5760 को पकडा गया, जिसमें से 02 सांड व 13 गाय कुल 15 गोवंशी पशु बरामद किये गये । ट्रक ड्राइवर व हेल्पर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये । इस संबंध में थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 224/2024 धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। गौवंशीय पशुओं को नियमानुसार गौशाला भिजवाया गया। अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान 1- इकराम उर्फ भूरा पुत्र खलील मुल निवासी ग्राम बहेडा थाना ककरोली जनपद मुजफ्फरनगर हाल पताग्राम तरकोला थाना नहटौर जनपद बिजनौर 2- सलीम उर्फ सालिम पुत्र जहुर हसन निवासी ग्राम मिद्दी थाना फरकपुर जिला यमुनानगर हरियाणा 3- धर्मवीर सिह पुत्र जय सिह नि0मौ0 डेरा कालोनी थाना लाडवा जनपद कुरुक्षेत्र हरियाणा का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नहटौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 224/24 धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम में वांछित अभियुक्तगण 1- इकराम उर्फ भूरा पुत्र खलील मुल निवासी ग्राम बहेडा थाना ककरोली जनपद मुजफ्फरनगर हाल पताग्राम तरकोला थाना नहटौर जनपद बिजनौर 2- सलीम उर्फ सालिम पुत्र जहुर हसन निवासी ग्राम मिद्दी थाना फरकपुर जिला यमुनानगर हरियाणा 3- धर्मवीर सिह पुत्र जय सिह नि0मौ0 डेरा कालोनी थाना लाडवा जनपद कुरुक्षेत्र हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। अभियोग में धारा 120बी भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर बताया हमारे साथी धर्मवीर की गाडी है, जिसमें करीब एक सप्ताह पूर्व इकराम व सलीम द्वारा आवारा गौवशीय पशुओं को गाडी में लादकर महाराष्ट्र मे कटान हेतु लेकर जा रहे थे। **उल्लेखनीय है कि इकराम उपरोक्त थाना धामपुर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- इकराम उर्फ भूरा पुत्र खलील निवासी ग्राम बहेडा थाना ककरोली जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता ग्राम तरकोला थाना नहटौर जनपद बिजनौर। **(हिस्ट्रीशीटर अपराधी)**

2- सलीम उर्फ सालिम पुत्र जहुर हसन निवासी ग्राम मिद्दी थाना फरकपुर जिला यमुनानगर हरियाणा।

3- धर्मवीर सिह पुत्र जय सिह नि0मौ0 डेरा कालोनी थाना लाडवा जनपद कुरुक्षेत्र हरियाणा।

आपराधिक इतिहास अभि0 इकराम उर्फ भूरा उपरोक्त – (हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त)

1- मु0अ0सं0 30/20 धारा 307 भादवि0 थाना मीरापुर जनपद मुज्जफरनगर।

2- मु0अ0स0 31/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मीरापुर जनपद मुज्जफरनगर।

3- मु0अ0स0 32/20 धारा 3/5क/8 गोवध अधि0 व 5/11 पशु क्रुरता अधि0 थाना मीरापुर जनपद मुज्जफरनगर।

4- मु0अ0स0 321/21 धारा 436 भादवि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर।

5- मु0अ0स0 03/22 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

6- मु0अ0स0 228/22 धारा 3(1) गैगस्टर अधि0 थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

7- मु0अ0स0 231/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

8- मु0अ0स0 224/2024 धारा 3/5क/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभि0 सलीम उपरोक्त -

1- मु0अ0स0 184/19 धारा 379/411 भादवि0 थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

2- मु0अ0स0 224/2024 धारा 3/5क/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना नहटौर बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभि0 धर्मवीर उपरोक्त -

1. मु0अ0स0 224/2024 धारा 3/5क/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना नहटौर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 रोबिन कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

2- हे0का0 देवेन्द्र सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

3- हे0का0 514 मनीष कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

4- का0 1073 अमित मलिक थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

5- का0 1369 रोहित कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 16.06.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी की गयी ईंट एवं घरेलु सामान सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 15.06.2024 को वादी श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र डालचन्द सिंह निवासी निकट आर0एस0एम0 स्योहारा रोड थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 14.06.2024 की रात्रि में वादी के निर्माणाधीन मकान से अभियुक्तगण 1.मुकेश पुत्र राम गोपाल 2.मुकन्दी उर्फ नन्दराम पुत्र ज्वारा सिंह निवासीगण ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने 500 ईंट, छोटा गैस सिलेण्डर, तवा, कढाई, भिगौना, प्लेट, गिलास आदि चोरी कर लिया है। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 286/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.06.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.मुकेश पुत्र राम गोपाल 2.मुकन्दी उर्फ नन्दराम पुत्र ज्वारा सिंह निवासीगण ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी ईंट एवं घरेलु सामान सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.मुकेश पुत्र राम गोपाल निवासी ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.मुकन्दी उर्फ नन्दराम पुत्र ज्वारा सिंह निवासी ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

500 ईंट, छोटा गैस सिलेण्डर, तवा, कढाई, भिगौना, प्लेट, गिलास आदि

अभियुक्त मुकेश का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 620/2019 धारा 323 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 286/24 धारा 379/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 प्रशिक्षु अन्नु कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

3.हे0कां0 645 प्रदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना कोतवाली शहर दिनांक 16.06.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 520/24 धारा 376/504/506/420 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 15.06.2024 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त रिजवान पुत्र शकील ठेकेदार निवासी मौ0 नई सराय निकट इस्लामिया मदरसा कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर गलत काम किया, अस्पताल में नौकरी लगवाने के नाम पर रुपये ले लिए तथा रुपये मांगने पर गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी दी गई । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 520/24 धारा 376/504/506/420 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 520/24 धारा 376/504/506/420 भादवि से संबंधित अभियुक्त रिजवान पुत्र शकील ठेकेदार निवासी मौ0 नई सराय निकट इस्लामिया मदरसा कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रिजवान पुत्र शकील ठेकेदार निवासी मौ0 नई सराय निकट इस्लामिया मदरसा कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 सुमित राठी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

2- आरक्षी कृतपाल सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना मंडावर **दिनांक-16.06.2024**

थाना मंडावर पुलिस ने मु0अ0सं0 185/2024 धारा 354/363 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15.06.2024 को वादी द्वारा थाना मंडावर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त दिपांशू पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम नान्दनौर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत की गयी। तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 185/2024 धारा 354/363 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.06.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 185/2024 धारा 354/363 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त दिपांशू पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम नान्दनौर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दिपांशू पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम नान्दनौर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 विनोद कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर।
2. का0 1181 हरेन्द्र कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 16.06.2024**

थाना चांदपुर क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला शाहचन्दन से सम्बंधित वायरल वीडियो के सम्बंध में।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 16.06.2024 को सोशल मीडिया (फेसबुक) पर Nawab Satpal Tanwar की फेसबुक आईडी से कई वीडियो अपलोड किये गये। उक्त प्रकरण के सम्बंध में अवगत कराना है कि दिनांक 08.06.2024 को आवेदक श्री प्रेम पुजारी पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौ0 शाहचन्दन कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चाँदपुर पर तहरीर दी गयी कि उनकी निजी भूमि पर विशेष समाज के लोगों ने बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित कर ली है। स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर जाँच की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि मौहल्ला शाहचन्दन में खाली पड़ी भूमि के सम्बंध में मा0 सिविल न्यायालय द्वारा वाल्मीकि समाज के लोगों के पक्ष में निर्णय दिया गया है। निर्णय हो जाने के पश्चात मुकदमा हारने वाले विशेष समाज के लोगों द्वारा उक्त जमीन पर बिना किसी अनुमति के बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है।

दिनांक 14.06.2024 को वादी श्री प्रेम पुजारी पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी मौ0 शाहचन्दन कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चाँदपुर पर तहरीर दी गयी कि वादी अपनी आराजी में निर्माण कार्य कर रहा था तभी अचानक मौहल्ला सराय रफी एवं मौहल्ला शाहचन्दन के पुरुष एवं महिलाओं ने वादी के साथ गाली – गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री सीमेन्ट के कट्टे, तसले, फावडे आदि उठाकर ले गये तथा उनके प्लॉट पर बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गयी है। वादी की आराजी वादी के पूर्वजों द्वारा खरीदी गयी है तथा वादी के पास निर्माण कार्य करने के लिये मा0 न्यायालय का आदेश है। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 297/2024 धारा 147/148/149/323/504/506/427/447/379 भादवि बनाम रेखा देवी पत्नी सुकराम निवासी मौ0 शाहचन्दन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर आदि कुल 49 नामजद व 10 – 12 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया है।

बिजनौर पुलिस सभी जनपदवासियों से अपील करती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई भी पोस्ट साझा न करे, जिससे किसी वर्ग, समुदाय एवं जाति विशेष की भावनायें आहत होती हो और न ही कोई ऐसी टिप्पणी करें जिससे समाज में अशांति फैलती हो।

सोशल मीडिया पर भ्रामक, उत्तेजक अथवा धार्मिक / सामाजिक / जातिगत भावनायें आहत करने सम्बंधी पोस्ट करने वालों के विरूद्ध बिजनौर पुलिस द्वारा कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा जनपद की शांति एवं कानून व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है तो बिजनौर पुलिस द्वारा सम्बंधित के विरुद्ध कडी कानूनी कार्यवाही की जायेगी।